हिन्दुस्तान दैनिक
5 अप्रैल, 2019

डीडीए ने लैंडपूलिंग का दायरा बढ़ाया

नई दिल्ली | वरिष्ठ संवाददाता

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने लैंडपूलिंग का दायरा बढ़ाते हुए नरेला क्षेत्र के 8 गांवों को भी इस योजना में शामिल कर लिया है। इस बाबत एक प्रस्ताव बीते दिनों उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति में आया था, जिसे पास कर दिया गया है।

इन 8 गांवों की जमीन को अब लैंड पूलिंग योजना के तहत विकास कार्यों के लिए डीडीए द्वारा लिया जा सकेगा। डीडीए की ओर से उत्तरी दिल्ली नगर निगम को 14 गांवों की लिस्ट भेजी गई थी, जिसमें से 6 गांवों को पहले ही किया जा चुका था।

250 हेक्टेयर भूमि मिली डीडीए को

डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी अब ट्रैक पर आती दिखने लगी है। करीब दो माह पहले पॉलिसी के तहत पंजीकरण कराने के लिए आरंभ की गई वेबसाइट सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए लगभग 650 पंजीकरण अब तक हो गए हैं। मजेदार यह है कि इसके जरिए करीब 250 हेक्टेयर भूमि भी लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत विकसित करने के लिए डीडीए के पास आ गई है। डीडीए के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पोर्टल पर लगभग 650 पंजीकरण किए गए हैं, जो इन भूमि मालिकों की भूमि स्वामित्व प्रक्रिया में भाग लेने की इच्छा को दर्शाता है। डीडीए ने कहा कि इनमें से 325 ने पंजीकरण राशि का भुगतान भी कर दिया है और कुल 250 हेक्टेयर भूमि पूलिंग के लिए आ गई है।

ये हैं आठ गांव : इसमें ममूरपुर, नरेला, बांकनेर, होलंबीकलां, ऽ. इरादत नगर (नया बांस), खेड़ा कलां, कुरैनी, भोरगढ़ शामिल हैं।